न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 123/2021

1. रामनिवास पुत्र श्योनारायण उर्फ शोलाल जाति जाट निवासी कलाना त0 भादरा।

:– वादी

ब ना म

1. श्योनारायण उर्फ शोलाल पुत्र उदमीराम जाति जाट निवासी कलाना त0 भादरा।
2. बलवीर पुत्र श्योनारायण उर्फ शोलाल जाति जाट निवासी कलाना त0 भादरा।
3. रमेश पुत्र पुत्र श्योनारायण उर्फ शोलाल जाति जाट निवासी कलाना त0 भादरा।
4. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री जयकिशन गोदारा एवं वकील प्रतिवादीगण श्री नरेन्द्र शर्मा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा कलाना के खाता सं0 624/573 के खसरा सं0 1299/694 की 2.049है0, खसरा सं0 1328/780 की 2.100है0 कुल 4.149है0 बारानी खातेदारी प्रतिवादी सं0 1 श्योनारायण उर्फ शोलाल के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में प्रतिवादी सं0 1 श्योनारायण उर्फ शोलाल की बजाय वादी रामनिवास व प्रतिवादी सं0 1 श्योनारायण उर्फ शोलाल, प्रतिवादी सं0 2 बलवीर व प्रतिवादी सं0 3 रमेश बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया ज़ावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 27/07/21 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

सहायक कलक्टर (सत्यनारायण)
(फास्ट ट्रैक) भादरा
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) भादरा (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 123/2021

1. रामनिवास पुत्र श्योनारायण उर्फ शोलाल जाति जाट निवासी कलाना त0 भादरा।

:- वादी

ब ना म

1. श्योनारायण उर्फ शोलाल पुत्र उदमीराम जाति जाट निवासी कलाना त0 भादरा।
2. बलवीर पुत्र श्योनारायण उर्फ शोलाल जाति जाट निवासी कलाना त0 भादरा।
3. रमेश पुत्र पुत्र श्योनारायण उर्फ शोलाल जाति जाट निवासी कलाना त0 भादरा।
4. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:- प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती

अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री जयकिशन गोदारा **: वादी**

वकील श्री नरेन्द्र शर्मा**: प्रतिवादीगण**

निर्णय **दिनांक :** 27/07/21

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा कलाना के खाता सं0 624/573 के खसरा सं0 1299/694 की 2.049है0, खसरा सं0 1328/780 की 2.100है0 कुल 4.149है0 बारानी खातेदारी प्रतिवादी सं0 1 श्योनारायण उर्फ शोलाल के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जो पहले वादी के दादा उदमीराम की खातेदारी हुआ करती थी। उदमीराम के बाद उक्त भूमि को प्रतिवादी सं0 1 श्योनारायण उर्फ शोलाल ने कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम विरासतन दर्ज करवा ली।

वादी एंव प्रतिवादगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादी की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादी अपनी बंटवारा की भूमि को समतल, उपजाउ बनाकर सुधार करना चाहते है जिसके लिए उन्हे केसीसी, ऋण आदि की आवश्यकता रहती है इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त वाद भूमि को अपने हक हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये लिहाजा यही बनाए मुखासमत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी सं 1 ता 3 द्वारा आपसी सहमती से दावा की सभी मद संख्या को स्वीकार करते हुए अपने पहचान पत्र व दस्तावेजों के साथ राजीनामा पेश किया गया। प्रतिवादी सं0 4 स्टेट की ओर से

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) भादरा

Scanned with CamScanner

जवाब दावा पेश किया। प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर उनकी की कोई आवश्यकता नही है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यु 1 रामनिवास पुत्र श्योनारायण उर्फ शोलाल के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी कलाना खाता सं0 624/573 संवत 2074–77 प्रदर्श 1, खसरा गिरदावरी प्रदर्श 2, वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत कलाना प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादीगण के हकों पर विपरित असर पड़ता है। अतः मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने रोही कलाना के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी कलाना खाता सं0 624/573 संवत 2074–77 प्रदर्श 1, खसरा गिरदावरी प्रदर्श 2, वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत कलाना प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये। जिसमें प्रदर्श 3 वारिस प्रमाण के अनुसार श्योनारायण उर्फ शोलाल के तीन पुत्र बलवीर, रमेश व रामनिवास तथा इनके अलावा कोई वारिस नहीं होंना अंकित है। तथा प्रदर्श 2 से वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि होना साबित है तथा वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 का जन्म से हक हिस्सा निहित है। इस प्रकार वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पति के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अत : वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा कलाना के खाता सं0 624/573 के खसरा सं0 1299/694 की 2.049है0, खसरा सं0 1328/780 की 2.100है0 कुल 4.149है0 बारानी खातेदारी प्रतिवादी सं0 1 श्योनारायण उर्फ शोलाल के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में प्रतिवादी सं0 1 श्योनारायण उर्फ शोलाल की बजाय वादी रामनिवास व प्रतिवादी सं0 1 श्योनारायण उर्फ शोलाल, प्रतिवादी सं0 2 बलवीर व प्रतिवादी सं0 3 रमेश बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 27/07/19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(सत्यनारायण)
(फास्ट ट्रैक) भादरा
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner